



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

उत्संसद द्वारा पारित अधिनियम 1996, (1997 का क्रमांक 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय
[A Central University established by Parliament by Act No. 1996 (3 of 1997)]

पत्रांक : 003 / 2003 / का.अ. / 02- 195 / 2020

दिनांक 01.10.2020

कार्यालयादेश

कोविद-19 को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्य दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन का कार्य घर से (Work to Home) करेंगे।

प्रयागराज क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज व कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता कार्यालय दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक बंद रहेंगे। आवश्यक स्थिति अथवा देखरेख की दृष्टि से कार्यालय खोला जा सकता है किंतु अधिकतम कार्य घर से (Work to Home) किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।

प्रति - संबंधित सभी।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
कार्यकारी कुलसचिव

01/10/2020